न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—273/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/273)

1. श्रीमती मधु गोयल पत्नी श्री सुनिल कुमार गोयल, जाति —अग्रवाल, निवासी— 420/23, सीताराम बाजार, केसरगंज, अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. शर्मा ग्रीन इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 जरिए निदेशक राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री भैरूबक्श शर्मा, आयु करीबन 43 साल, जाति ब्राह्मण एवं आयुष शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा आयु 20 साल निवासीगण केशन नगर, परबतसर, जिला—नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिए कार्यालय तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।
3. हल्का पटवारी, पटवार हल्का कडैल तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।
4. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री रामचंद्र जाति जाट निवासी ग्राम— कडैल, तहसील—पुष्कर, जिला—अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,पुष्कर विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.09.2022 राजस्व वाद संख्या 49/2022.

उपस्थितः—

1. श्री मृणाल शर्मा व श्रीमती सुजाता सागर अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री जगदीश चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02, 03
4. रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित।.

निर्णय

दिनांकः— 30.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 21/06/2022 को प्रस्तुत किया जिसे दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने की आदेशिका के साथ आगामी दिनांक 18.7.2022 दी गई और अपीलांट अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से जरिए वकील उपस्थित हुआ और उसके बाद वास्ते शेष तलबी आगामी पेशी दिनांक 25.07.2022 दी गई और इस रोज पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं होने से आगामी पेशी दिनांक 01.08.2022 दी गई तथा दिनांक 01.08.2022 को पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

गया ऐसा कथन आदेशिका में अंकित किया गया तथा जवाब के लिए समय दिया गया और पेशी 08.08.2022 और इस रोज वकील बार द्वारा कार्य स्थगित के कारण आगामी पेशी दिनांक 17.08.2022 को एवं 24.08.2022 को अंतिम अवसर जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेशिका में अंकन कर दिया गया और दिनांक 29.8.2022 को पेशी देकर अपीलांट/अप्रार्थी को जवाब बंद कर आगामी पेशी दिनांक 7.9.2022 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अपीलाधीन प्रकरण की आदेशिका दिनांक 01.08.2022 में अंकन किया है कि पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो वाद तस्दीक शामिल मिसल किया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पैरोकार सरकार की आरे से जवाब रेकार्ड पर नहीं है आदेशिका में गलत अंकन किया है रेस्पोडेंट सख्या 01 के साथ मिलीभक्ति से रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 ने कुसंयोजन कर विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 2 को निकटतम सुलभ रास्ते के बाबत मौके पर जाकर भौतिक रूप से मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने के बाबत कोई भी आदेश पत्र तहसीलदार पुष्कर को मौका रिपोर्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाबत जारी नहीं किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है इसके उपरांत भी बिना किसी आदेश के मिलीभक्ति से कार्यालय से दिनांक 5.7.2021 को पत्र जारी होने का कथन करते हुए बिना हितबद्ध खातेदारान अपीलांट आदि को मौका रिपोर्ट प्रस्ताव बनाने से पूर्व मौका मुआयना करने विवादित स्थल पर उपस्थित होने के बाबत कोई सूचना नहीं दी और अपील मनमर्जी से मौका रिपोर्ट प्रस्ताव न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिसकी नकल अपीलांट को प्राप्त होने के उपरांत जब जवाब व मौका रिपोर्ट पर ऐतराज पेश करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तो अवगत कराया कि जवाब बंद कर दिया है और निर्णय में पत्रावली 7.9.2022 को रखी गई है और इस रोज भी अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन करने के उपरांत भी अपीलांट को अपनी प्रतिरक्षा के लिए समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया और प्रस्तुत किए गए जवाब को पत्रावली पर नहीं लिया गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया। अपीलांट ने अपनी प्रतिरक्षा के लिए जानबूझकर जवाब प्रस्तुत करने में एवं मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग हाने की सही स्थिति को अधीनस्थ न्यायालय के सामने लाने का प्रयास किया उसमें कोई विलंब नहीं किया लेकिन प्रमाणित रिकार्ड की नकले निकलवाने के कारण जवाब प्रस्तुत करने के पूर्व ही दो दो दिन की पेशी देकर अंतिम अवसर देकर जवाब बंद कर दिया जिससे समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाना प्रतित होता है। रेस्पोडेंट संख्या 01 को अपनी खातेदारी की भूमि जिसे उसने औद्योगिक उपयोग परिवर्तित करवाया है उसे जिन खातेदारान से खरीदा गया वह जिस मार्ग से सालों से आते–जाते रहे हैं उसके अलावा अलग से अपनी निजी सुविधा के लिए आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उपलब्ध होने के उपरांत भी रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के साथ मिलीभक्ति कर मौका रिपोर्ट प्रस्ताव बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया है। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को अच्छी तरह से जानकारी रही है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के आवागमन के लिए सालो से खसरा नम्बर 493 की भूमि का उपयोग किया जा रहा है इसके उपरांत भी वैकल्पिक रास्ता नजदीक का होने पर भी अन्य नया रास्ता वादी की चाही भूमि में से रास्ता दिया जाना विधिसंगत नहीं होने के उपरांत भी विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने खसरा नम्बर 494 का रकबा 01.2600 हैक्टेयर कृषि भूमि में आवागमन के लिए एवं खेत पर संसाधन लेने जाने व फसल की बुआई कटाई आदि के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने से आवेदन किया जबकि मौके पर रेस्पोडेंट संख्या 01 का अपनी उक्त कथित भूमि पर गैर कृषि उपयोग कर रहा है तथा मौके पर खेती का कार्य नहीं किया जा रहा है असत्य कथनों से परिपूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया और रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के साथ मिलीभक्ति कर मौके पर भौतिक रूप से कथित खसरा नम्बर 494 की भूमि का कृषि उपयोग नहीं होने के उपरांत भी जो मौका रिपोर्ट/प्रस्ताव करवाया है वो भौतिक रूप से मौका स्थिति के विपरीत होने से इसे आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर , अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे की वे अपीलांट का जवाब प्राप्त कर विधि अनुसार आदेश पारित करें। विद्वान अभिभाष्क अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों को पेश किया है– आर0बी0जे 2019 पेज संख्या 443, आर0बी0जे 2020 पेज संख्या 35, डी0एन0जे–2021 (वोलियम–2 राजस्व) पेज संख्या 801, डी0एन0जे–2021(वोलियम–2 राजस्व) पेज संख्या 681.

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या01 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अप्रार्थी की पटवार हल्का कडैल में खातेदारी आराजी भूमि खसरा नम्बर 494 रकबा 1.26 हैक्टर किस्म चाही–2 अवस्थित है तथा उक्त आराजी को अप्रार्थी एकमात्र काश्तकार है। अप्रार्थी की उपरोक्त कृषि आराजी भूमि में अपने उक्त खेत खसरा नम्बर 494 में आने–जाने हेतु किसी प्रकार का कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड मे विद्यमान नहीं है ना ही उक्त आराजी के चारों और रिकार्डेड किसी प्रकार का रास्ता है और ना ही उक्त भूमि में आने जाने एवं संसाधन लाने ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता भी अप्रार्थी के पास उपलब्ध नहीं है और रास्ता नहीं हाने से अप्रार्थी व उनके परिवार के सदस्यों को उनके खातेदारी खेत पर संसाधन लाने ले जाने और फसल की बुआई कटाई और लुटाई इत्यादि में भी भारी परेशानी होती है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 490 जो कि आम सड़क खसरा नम्बर 491 के लगते हुए है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 489 अप्रार्थी के खेत के पहले अवस्थित है तथा खसरा नम्बर 490 जो कि आम सड़क पर अवस्थित है। अप्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि खेतों के पडौस में व सम्मुख ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 489 और 490 अवस्थित है तथा प्रार्थी की भूमि मुख्य रास्ते सडक पर विद्यमान है जो संलग्न राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है। उक्त प्रार्थी के लगते हुए ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के लगते हुए है तथा प्रार्थीगण की उपरोक्त खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नम्बरान की भूमि में से एक मात्र रूप से आने जाने का रास्ता उपलब्ध हो सकता है तथा मुख्य रास्ता जो कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि से एवं संलग्न दस्तावेजों से अप्रार्थी की भूमि तक का रास्ता नजदीकतम प्रार्थीगण के खेतों से ही प्राप्त हो सकता है, इसके अलावा अप्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि में आने जाने का रास्ता नजदीकतम अन्य किसी खेतो में नहीं है इसलिए अप्रार्थी को उनके खेतो में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि में से 30 फुट चौडाई का रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 489 व 490 के पास में ही खसरा नम्बर 493 की भूमि है तथा खसरा नम्बर 493 की भूमि की किस्म नाला है और नाला किस्म होने से उक्त खसरा नम्बर 493 की भूमि में से रास्ता लिया जाना और दिया जाना दोनो ही कानूनन संभव नहीं है और एकमात्र नजदीकतम रास्ता प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों से ही कानूनन प्राप्त हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दिनांक 21.06.2022 कोदर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर आगामी पेशी दिनांक 18.07.2022 नियत की। तत्पश्चात दिनांक 18.07.2022 को पैरोकार सरकार उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से वकील श्रीचन्द्रप्रकाश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया,अप्रार्थी संख्या 04 बाजवूद सूचना के अनुपस्थित रहे। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब हेतु आगामी पेशी दिनांक 25.07.2022 नियत की है। दिनांक 25.07.2022 को पीठासीन अधिकारी नहीं होने पर आगामी पेशी दिनांक 01.08.2022 नियत की। दिनांक 01.08.2022 को पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 04 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी संख्या 03 हेतु आगामी पेशी दिनांक 08.08.2022 नियत की गई। पत्रावली पर फिर चार तारीख पेशी दी गयी किन्तु अप्रार्थी संख्या 03 ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 29.08.2022 को अप्रार्थी संख्या 03 को बार बार अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनका जवाब बंद किये जाने के आदेश पारित कर आगामी पेशी दिनांक 07.09.2022 नियत की गई तथा दिनांक 07.09. 20022 को पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि पत्रावली में उनका जवाब प्रस्तुत है तथा अप्रार्थी 03 का जवाब बंद कर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 04 की एक पक्षीय कार्यवाही की गई है इसलिए प्रार्थना पत्र पर आदेश किये जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिभाषक प्रार्थी एवं राजकीय पैरोकार के निवेदन पर प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किये जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 03/अपीलांट को जवाब हेतु कई बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उनका जवाब विधि सम्मत बंद किया है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश से दिनांक 15.07.2022 को विवादित आराजी बावत् मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें उभयपक्षकारान को नोटिस विधिवत तामील करवा कर मौके पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 15.07.2022 को पटवारी हल्का पुष्कर, पटवारी हल्का कडैल तथा आई.एल.आर.कडैल ने मौका रिपोर्ट तैयार की, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03, 4 उपस्थित हुए किन्तु अप्रार्थी संख्या 03 ने उपस्थित होने के बावजूद मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। मौका रिपोर्ट में यह अंकन किया गया है कि प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता का अभाव तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है एवं चाहा गया रास्ता की निकटतम दूरी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

है व कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा हैं। इस प्रकार मौका रिपोर्ट भी विधि सम्मत बनाई है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर दिया था किन्तु अप्रार्थी संख्या 03 ने जानबूझ कर अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के बाद नये रास्ते बाबत् घटक के अनुसार ही रास्ता पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थी संख्या साख्या 04 ने तहसीलदार, पुष्कर को प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ते में गई भूमि की एवल में राशि दिलाने बाबत् पेश कर कथन किया गया कि खसरा नम्बर 490 में से रास्ते में गई भूमि की एवल में मुझे प्रतिकर राशि दिलाने की कृपा करावे। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन की रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ मिलीभक्ति से रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 ने कुसंयोजन कर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो गलत है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सख्या3 वर्तमान अपीलांट ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया इसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उनका जवाब बंद कर कोई गलती नहीं की, उनको जवाब हेतु पत्रावली पर आदेशिका से स्पष्ट है कि उनको कई बार अवसर दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने समर्थन में 2022(2)सीजे(सिविल)राज. पेज 1163 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 21/06/2022 को प्रस्तुत किया। वकील बार द्वारा कार्य स्थगित के कारण आगामी पेशी दिनांक 17.08.2022 को एवं 24.08.2022 को अंतिम अवसर जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेशिका में अंकन कर दिया गया और दिनांक 29.8.2022 को पेशी देकर अपीलांट/अप्रार्थी को जवाब बंद कर आगामी पेशी दिनांक 7.9.2022 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 2 को निकटतम सुलभ रास्ते के बाबत मौके पर जाकर भौतिक रूप से मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने के बाबत कोई भी आदेश पत्र तहसीलदार पुष्कर को मौका रिपोर्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाबत जारी नहीं किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है। हितबद्ध खातेदारान अपीलांट आदि को मौका रिपोर्ट प्रस्ताव बनाने से पूर्व मौका मुआयना करने विवादित स्थल पर उपस्थित होने के बाबत कोई सूचना नहीं दी अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन करने के उपरांत भी अपीलांट को अपनी प्रतिरक्षा के लिए समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया और प्रस्तुत किए गए जवाब को पत्रावली पर नहीं लिया गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया। जिससे समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाना प्रतित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत जब खेत में आने–जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो नया रास्ता दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, सुविधा की दृष्टि से मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, यदि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो पुनः निर्णय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आपत्तियों को निर्णित कर समुचित साक्ष्य अभिलिखत कर पुनः निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान की मौजूदगी में तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को विधिनुसार 30 दिवस में निर्णित करना सुनिश्चित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner